परिचय

संविधान सभा/संयोजन के मार्ग दर्शक नियम

अपने–अपने विशेष अनुच्छेद सहित संविधान सभा के आधार भूत आठ मार्ग दर्शक सिद्धांत हैं ।

(क) जन्मजात प्रतिष्ठा के लिए आदर, व्यैक्तिक स्वायत्ता जिसमें स्वयं चुनाव करने की छूट शामिल है और व्यक्तियों की स्वतंत्रता

(ख) भेद भाव रहित

(ग) समाज में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और समावेशन

(घ) मानवता और मानवीय विविधता के भाग के रूप में अक्षम व्यक्तियों की व्यैक्तिक विविधता के लिए आदर और स्वीकारोक्ति

(ड.) अवसरों की समानता

(च) सुलभता/सुगमता

(छ) स्त्री–पुरूषों में समानता

(ज) अक्षम बालकों की उत्सर्जित हो रही क्षमताओं के लिए आदर और अक्षम बालकों की अपनी पहचान सुरक्षित रखने के अधिकार का आदर

अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों की संविधान सभा/संयोजन एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संयोजन है जिसने इसके क्रियान्वयन के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों (जो कि संधि परिवेक्षक समिति के नाम से भी जाने जाते हैं) के एक आयोग की भी स्थापना की है । जब कोई देश अक्षम व्यक्ति अधिकार संयोजन (अ0 व0 अधि स0) में राजकीय भागीदार (इस पर दस्तखत और अनुसमर्थन करके अथवा संयोजन में शामिल होकर) बनता है तो वह राजकीय भागीदार बनते समय की गई घोषणाओं, अपवादों अथवा सुझावों के (RUD's) साथ अक्षम व्यक्ति अधिकार संयोजन के अनुच्छेदों का पालन करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है ।

अधिकाराधारित प्रणाली के स्तंभ

1. मानवाधिकारों से जुड़ाव की अभिव्यक्ति
2. जबाबदेही
3. सशक्तिकरण
4. भागीदारी

''संविधान सभा/संयोजन'' क्या है ?

''संयोजन/संविधान सभा'' दो अथवा दो से अधिक देशों के बीच कानूनी तौर पर मान्य लिखित समझौता है। जब देश संविधान सभा में शामिल होने का चुनाव करते हैं तब उन्हें संयोजन में विस्तार पूर्वक दिए गए सारे कर्त्तव्यों का पालन करना होगा । जब पर्याप्त देश इसमें शामिल हो जाते हैं, तब संविधान सभा –''बल में प्रवेश कर लेती है'' – यानि कि, यह सक्रिय हो जाती है – और तब सभी राष्ट्रों के लिए संविधान सभा के अपने कर्त्तव्यों के क्रियान्वयन के कदम उठाना जरूरी हो जाता है ।

''मानवाधिकार संयोजन'' क्या है ?

''मानवाधिकार संयोजन'' एक ऐसा संयोजन है जो विशेषतयाः मानव अधिकारों के विषय में कार्यव्यवहार करता है । ''मानव अधिकार'' ऐसे अधिकार हैं जो मात्र मानव होने के कारण सब के लिए हैं । सभी, के लिए अधिकृत मानव अधिकार बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न दस्तावेज़ों में दिए हैं । इनमें से पहला और शायद सबसे मशहूर है, मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र (UDHR), जिसे 1948 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा ने अपनाया था ।

बाल अधिकार संयोजन (अनुच्छेद 23) के अपवाद को छोड़ कर अन्य किसी मुख्य मानव अधिकारों में अक्षम व्यक्तियों का जिक्र तक नहीं है । हालांकि इन संयोजनों में अभिव्यक्त मानव अधिकार निश्चित ही अक्षम व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं, सरकारों ने अक्षम व्यक्तियों को इन मानव अधिकारों का पूर्ण आनन्द सुनिश्चित करने के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है । इसके साथ ही सरकारों ने इस दिशा में भी कोई कार्य नहीं किया है कि समझौता निरीक्षण समिति को नियमित विवरण दिया जाए कि वह कैसे विभिन्न मानव अधिकार संयोजनों को अक्षम व्यक्तियों पर लागू कर रहे हैं,। निरीक्षक समितियों ने भी इस जानकारी का आग्रह करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई ।

परिणामतः कुछ व्यक्तियों ने यह ध्यान दिलाया कि अक्षम व्यक्ति प्रभावी तौर पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रणाली में ''अद्रश्य'' हैं । कुछ दूसरे समूहों (जैसे कि महिलाओं और बच्चों) ने भी भूतकाल में इसी तरह की ''अद्रश्यता'' को अनुभव किया, और उन्होंने भी विषयक (विषय संबंधी) मानव अधिकारों के संयोजन के विकास के विकल्प को चुना ।

इन समस्याओं के अतिरिक्त, मानव अधिकारों के वह उपकरण जो वाकई में अक्षमता के मुद्दों (जैसे कि अक्षम व्यक्तियों के लिए अवसरों की समानता के सं0 रा0 के मानक नियम) को मुखरित करते हैं कानूनी रूप से बाध्य नहीं है । इसका अर्थ है कि सरकारों को इन दस्तावेज़ों के सुझावों को मानने की कानूनन जरूरत नहीं है, और दुःख है कि बहुतों ने नहीं मानना पसंद किया । यह भी देखा गया है कि अक्षमता के मुद्दों को मुखरित करने वाले उपकरण, अक्षम व्यक्तियों पर चर्चा करने के अपने तरीके के कारण पुराने हो, चुके हैं । इनसे शायद अक्षम व्यक्तियों के बारे में प्रचलित अंधविश्वासों जैसे कि इनमें समाज में पूर्णतयाः भागीदारी करने की क्षमता का अभाव होता है अथवा वह विशेषतयाः आघात योग्य है, को पुर्नबल मिलता है।

इस प्रकार ''अधिकार आधारित प्रणाली'' अपनाने से इनमें से बहुत–सी समस्याओं का समाधान (निम्न तकनीक) के द्वारा किया जा सकता है :–

i. मानव अधिकारों से जुड़ाव की अभिव्यक्ति – मानव अधिकारों से जुड़ाव की अभिव्यक्ति के द्वारा, नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की पूर्ण श्रेणी का अक्षमता मुद्दों से सीधा संबंध हो जाता है । यह अक्षमता अधिकारों पर मानव अधिकार की भाषा में चर्चा करने की अनुमति भी देता है । उदाहरण के लिए, अक्षम किशोरों की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर चर्चा के दौरान, अ0 व0 अधि0 सं0 हमारी मदद करता है कि इन मुद्दों के बारे में बात मात्र ''आवश्यकता'' न मानकर, ब्लिक कानूनन मान्य अधिकारों के रूप में भी की जाए । चूंकि यह भी है कि सभी मानव अधिकारों की एक दूसरे पर निर्भरता और आपसी संबंध (यानि कि प्रत्येक अधिकार का हमारा आनन्द, किसी दूसरे अधिकार के आनन्द की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है) है, मानव अधिकार तरीके से हमें यह सोचने की भी आवश्यकता होगी कि शिक्षा के अधिकार का आनन्द उठाने के लिए, कौन से दूसरे अधिकार महत्वपूर्ण है ।

ii. जवाबदेही – अधिकार आधारित प्रणाली की आवश्यकता है कि अधिकारों के अधिकारी (अपना अध्किार मांगने वाले व्यक्ति) और कर्त्तव्य पालकों, (यानि कि प्रश्नित अधिकारों के आनन्द को प्रोत्साहित और संरक्षित

करने का दायित्व निभाने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वह स्वयं अधिकारों का उल्लंघन ना करें और अधिकारी व्यक्तियों को अधिकार का आनंद सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें) की पहचान की जाए ।

iii. सशक्तिकरण – अधिकार आधारित प्रणाली अधिकारी व्यक्तियों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है । यह दया के तरीके से विपरीत है, जहाँ दया के पात्र निष्क्रिय रहते हैं और किसी भी कार्य में उनकी कोई आवाज़ नहीं होती है ।

iv. भागीदारी – अधिकार आधारित प्रणाली की आवश्यकता है कि सभी संबंधित दावेदार पूर्ण भागीदारी करें। अर्थात् अक्षम व्यक्ति दूसरे अन्य दावेदारों के साथ अर्थपूर्ण भागीदार हों ।

संयोजन के उद्देश्य

'वर्तमान संयोजन का उद्देश्य है समस्त अक्षम व्यक्तियों द्वारा सभी मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के एक समान और संपूर्ण आनन्द को सुनिश्चित, संरक्षित और प्रोत्साहित करना, और उनकी जन्मजात प्रतिष्ठा के आदर का प्रोत्साहन' ।

'अक्षम व्यक्तियों में शामिल हैं, वह व्यक्ति जिनकी लंबी शारीरिक, मानसिक, बौद्विक अथवा स्पर्शेन्द्रि हानि अन्य अवरोधकों के साथ मिलकर समाज में इनकी दूसरों के समान आधार पर पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी में बाधा पहुँचाए ।' (अनुच्छेद 1)

संयोजन के सिद्धांत :–

1 वर्तमान संयोजन के सामान्य सिद्धांत निम्न हैं :–

(क) जन्मजात प्रतिष्ठा का आदर, व्यैक्तिक स्वतंत्रता जिसमें स्वयं की पसंद की आजादी शामिल है, और व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता; (ख) भेदभाव की भावना रहित; (ग) समाज में पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और समावेशन; (घ) मानवता और मानवीय विविधता के भाग के रूप में अक्षम व्यक्तियों की वैयक्तिक विविधता के लिए आदर और स्वीकारोक्ति; (ड.) अवसरों की समानता; (च) सुलभता;, (छ) महिलाओं–पुरूषों में समानता; (ज) अक्षम बालकों की उत्सर्जित हो रही क्षमताओं के लिए आदर और अक्षम बालकों को अपनी पहचान सुरक्षित रखने के अधिकार का आदर । (अनुच्छेद 3)

2. समानता और भेदभाव की भावना रहित :–

'राजकीय भागीदार पहचानते हैं कि कानून के समक्ष और अंदर सभी व्यक्ति समान हैं और बिना किसी भेदभाव के समान सुरक्षा और कानून के समान लाभ के अधिकारी हैं ।'

'राजकीय भागीदारों को अक्षमता के आधार पर सभी भेद भावों का निषेध करना चाहिए और अक्षम व्यक्तियों को समस्त प्रकार के भेदभाव के विरूद्ध समान एवं प्रभावी कानूनी सुरक्षा का आश्वासन देना चाहिए ।' (अनुच्छेद 5)

3. अक्षम महिलाऐं :—

राजकीय भागीदार पहचानें कि अक्षम महिलाऐं और लड़कियाँ बहु भेदभाव के पात्र हैं, और इस संबंध में उन्हें उनकी मौलिक आजादी और उनके सभी मानव अधिकारों के पूर्ण एवं प्रभावी आनंद को सुनिश्चित करने के लिए उचित परिमाण करने चाहिए ।' (अनच्छेद 6)

4. अक्षम बालक :—

'राजकीय भागीदार अक्षम बालकों की मौलिक स्वतंत्रताओं और सभी मानव अधिकारों के पूर्ण आनन्द को अन्य बालकों के समान आधार पर सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाऐंगे ।' (अनुच्छेद 7)

दायित्व :—

1. सामान्य दायित्व :—

'राजकीय भागीदार सभी अक्षम व्यक्तियों के लिए मौलिक स्वतंत्राओं और समस्त मानव अधिकारों की अक्षमता के आधार पर भेदभाव रहित पूर्ण प्राप्ति को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे ।'

'आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संदर्भ में, हर राजकीय भागीदार अपने यहाँ उपलब्ध स्त्रोतों के उच्चतम और . . . अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा के अंतर्गत, इन अधिकारों की क्रमशः पूर्ण प्राप्ति के दृष्टिकोण से कदम उठायेंगे ।'

'वर्तमान संयोजन को क्रियान्वित करने की नीतियों और विधान के क्रियान्वयन एवं विकास में, और अक्षम व्यक्तियों से संबंधित अन्य मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में, राजकीय भागीदार अक्षम व्यक्तियों, जिनमें अपनी नामांकित संस्था के द्वारा अक्षम बालक भी शामिल है, से घनिष्ठ परामर्श करेंगे और उन्हें सक्रिय रूप से शामिल करेंगे ।'

'अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों की प्राप्ति में ज्यादा सहायक, किसी भी प्रावधान जिसमें राजकीय भागीदार के कानून अथवा उस राज्य में लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून शामिल हैं, पर वर्तमान संयोजन कोई असर नहीं करेगा।' (अनुच्छेद 4)

'राजकीय भागीदार तात्कालिक, प्रभावी और उपयुक्त कदम उठायेंगे :

'(क) समाज के अंदर अक्षम व्यक्तियों के संदर्भ में, परिवारिक स्तर को भी शामिल करके जानकारी बढ़ाने के लिए, और अक्षम व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और अधिकारों के आदर के प्रोत्साहन के लिए; (ख) अक्षम व्यक्तियों से संबंधित नुक्सानदेय प्रथाओं, पूर्वाग्रहों और अंधविश्वासों, जिनमें जीवन के सभी क्षेत्रों में, उम्र और लिंग पर आधारित भी शामिल है, से निपटने के लिए; (ग) अक्षम व्यक्तियों के योगदान और क्षमताओं की जानकारी के प्रोत्साहन के लिए ।' (अनुच्छेद 8)

3. मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताएँ

'राजकीय भागीदार पुनःबल देते हैं कि सभी मानव प्राणियों को जीने का जन्मजात अधिकार है और अक्षम व्यक्तियों के अन्यों के समान आधार पर उसके प्रभावी आनन्द को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेंगे ।' (अनुच्छेद 10)

'राजकीय भागीदार अंतर्राष्ट्रीय कानून, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून भी शामिल है, के अंतर्गत अपने दायित्वानुसार अक्षम व्यक्तियों की खतरे की स्थिति, जिनमें सैन्य प्रतिद्वंद, मानवीय आपातकाल और प्राकृतिक आपदा की घटना शामिल है, में सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक कदम उठायेंगे ।' (अनुच्छेद 11)

'राजकीय भागीदार पुनः प्रतिपादित करते हैं कि सभी जगह अक्षम व्यक्तियों को कानून के सामने पहचान का अधिकार है ।' (अनुच्छेद 12)

'राजकीय भागीदारों को अक्षम व्यक्तियों को अन्यों के समान आधार पर न्याय की प्रभावी सुलभता, जिसमें उम्रोपयोगी सामंजस्य और प्रक्रियात्मक प्रावधान शामिल है, ताकि उनकी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भागीदारी की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित किया जा सके, इसमें समस्त कानूनी प्रक्रियाओं में साक्षी जिसमें जांच–पड .ताल एवं दूसरे अन्य प्राथमिक स्तर शामिल है, को सुनिश्चित करना चाहिए ।' (अनुच्छेद 13)

राजकीय भागीदारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि अक्षम व्यक्ति दूसरों के समान आधार पर :–

'(क) व्यक्ति की सुरक्षा आजादी और के अधिकार का आनन्द उठाऐं;

'(ख) अपनी आजादी से गैर कानूनी अथवा नियमेततर रूप से वंचित न रहें और कि आजादी का कोई भी आभाव कानून के दायरे में हो और यह भी कि अक्षमता का अस्तित्व किसी भी मामले में आजादी के आभाव को न्यायोचित न ठहराये ।' (अनुच्छेद 14)

'कोई भी, क्रूरता अथवा यातना, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दंड का पात्र नहीं बनेगा । विशेषतया कोई भी बिना अपनी स्वतंत्र सहमति के वैज्ञानिक अथवा चिकित्सकीय प्रयोगों का विषय नहीं बनेगा ।' (अनुच्छेद 15)

'अक्षम व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए राजकीय भागीदार सभी उपयुक्त वैधानिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य कदम उठायेंगे जिसमें सम्मिलित हैं घर एवं घर के बाहर दोनों ही स्थितियों में सभी प्रकार का शोषण, हिंसा और अपमान, इसमें उनका लिंग आधारित आयाम भी शामिल है ।' (अनुच्छेद 16)

'हर अक्षम व्यक्ति को दूसरों से समान आधार पर अपनी मानसिक और शारीरिक अखंडता के आदर का अधिकार है ।' (अनुच्छेद 17)

'राजकीय भागीदार अक्षम व्यक्तियों की गतिविधि की स्वतंत्रता, निवास और राष्ट्रीयता के चुनाव की स्वतंत्रता के अधिकार को दूसरों से समान अधिकार पर पहचानेंगे ।' (अनुच्छेद 18)

राजकीय भागीदार सभी अक्षम व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता के अपने अधिकार के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए समस्त उपयुक्त कदम उठायेंगे जिसमें शामिल है पूछताछ की स्वतंत्रता दूसरों से समान आधार पर स्वयं चुने गये संचार के समस्त साधनों द्वारा विचारों और जानकारीयों का लेन देन जैसा कि वर्तमान संयोजन के अनुच्छेद 2 में परिभाषित है ।' (अनुच्छेद 21)

'कोई भी अक्षम व्यक्ति अपने आवास स्थान अथवा रहने के प्रबंध की परवाह किये बिना अपनी प्रतिष्ठा एवं आदर पर गैरकानूनी हमले अथवा अपने निजी पारिवारिक, घरेलू अथवा पत्राचार अथवा अन्य प्रकार के

संचार पर गैरकानूनी अथवा नियमेततर हस्तक्षेप का पात्र नहीं बनेगा । अक्षम व्यक्तियों को इस प्रकार के हमलों अथवा हस्तक्षेप के विरूद्ध कानूनन सुरक्षा का अधिकार है ।' (अनुच्छेद 22)

'राजकीय भागीदार अक्षम व्यक्तियों को अन्यों से समान आधार पर राजनैतिक अधिकारों और उसके आनन्द के अवसर की गारंटी देंगे और निम्न कदम उठाऐंगे :

'(क) अक्षम व्यक्तियों की अन्यों से समान आधार पर राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रभावी और पूर्ण भागीदारी, प्रत्यक्ष रूप से अथवा स्वैच्छा से चुने प्रतिनिधियों द्वारा सुनिश्चित करने के लिए जिसमें अक्षम व्यक्तियों को मतदान देने का और निर्वाचित होने का अधिकार एवं अवसर शामिल है ।

'(ख) ''सक्रिय रूप से ऐसे वातावरण के प्रोत्साहन के लिए जिसमें अक्षम व्यक्ति सार्वजनिक मामलों के संचालन में पूर्णतया और प्रभावी रूप से भागीदारी कर सके, बिना किसी भेदभाव के और दूसरों से समान आधार पर, और सार्वजनिक मामलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए .....' (अनुच्छेद 29)

4. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व

'अक्षम व्यक्तियों की जीवन के सभी आयामों में संपूर्ण भागीदारी और उनको स्वतंत्रता पूर्वक जीने के योग्य बनाने के लिए, राजकीय भागीदार उपयुक्त कदम उठायेंगे, ताकि अक्षम व्यक्तियों को अन्यों से समान आधार पर, भौतिक वातावरण, यातायात, जानकारी और संप्रेषण, इसमें सूचना एवं प्रसारण तकनीक और प्रणाली शामिल हैं, और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों दोनों की ही जनता को मुहैया की गई अथवा के लिए खुली अन्य सुविधाओं एवं सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित की जा सके ।' (अनुच्छेद 9)

'वर्तमान संयोजन तक राजकीय भागीदार सभी अक्षम व्यक्तियों के समुदाय में रहने के समान अधिकार को दूसरों के समान विकल्पों सहित, पहचानते हैं और अक्षम व्यक्तियों द्वारा इस अधिकार के पूर्ण आनन्द के प्रोत्साहन और उनके पूर्ण समावेशन और समुदाय में उनकी भागीदारी के सुगमीकरण के लिए उपयुक्त और प्रभावी कदम उठायेंगे ।' (अनुच्छेद 19)

'राजकीय भागीदार अक्षम व्यक्तियों की उच्चतम संभव स्वतंत्रता के साथ निजी गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठायेंगे ।' (अनुच्छेद 20)

'राजकीय भागीदार दूसरों के समान आधार पर अक्षम व्यक्तियों के विरूद्ध शादी, परिवार, अभिभावकगण और आपसी संबंधों से जुड़े सभी मामलों से भेदभाव हटाने के लिए प्रभावी और उपयुक्त कदम उठायेंगे ।' (अनुच्छेद 23)

'राजकीय भागीदार अक्षम व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार को पहचानते है । राजकीय भागीदार इस अधिकार की भेदभाव रहित प्राप्ति के दृष्टिकोण से, और समान अवसरों के आधार पर सभी स्तरों पर समावेशित शिक्षा प्रणाली और जीवन पर्य्रन्त अधिगम सुनिश्चित करने के लिए कदम उठायेंगे ।' (अनुच्छेद 24)

'राजकीय भागीदार पहचानते हैं कि अक्षम व्यक्तियों को अक्षमता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के, स्वास्थय के उच्चतम प्राप्त मानकों के आनन्द का अधिकार है । राजकीय भागीदार अक्षम व्यक्तियों को लिंग संवेदी स्वास्थय सुविधा, जिसमें स्वास्थय संबंधी पुनर्वास शामिल है की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठायेंगे ।' (अनुच्छेद 25)

'राजकीय भागीदार अपने साथियों के सहयोग से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्ति एवं इसे बनाए रखने के लिए उपयुक्त और प्रभावी कदम उठायेंगे जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यासायिक क्षमता प्राप्ति और जीवन के सभी आयामों में पूर्ण भागीदारी और पूर्ण समावेशन योग्यता शामिल है । इस बात के लिए, राजकीय भागीदार व्यापकार्थ आवासीय और पुर्नवासीय सेवा एवं अन्य कार्यक्रमों का मजबूतीकरण, विस्तार और आयोजन, विशेषतया : स्वास्थय, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में, करेंगे ।' (अनुच्छेद 26)

'राजकीय भागीदार अक्षम व्यक्तियों के दूसरों से समान आधार पर कार्य करने के अधिकार को पहचानते हैं, इसमें अक्षम व्यक्तियों के लिए श्रम बाजार में स्वतंत्रता से चुने अथवा स्वीकार किए गये कार्य के द्वारा जीविकोपार्जन और सुगम, समावेशित और मुक्त कार्य वातावरण का अधिकार शामिल है । राजकीय भागीदार उन व्यक्तियों के लिए भी काम के अधिकार की प्राप्ति को सुरक्षित और प्रोत्साहित करेंगे, जिन्होंने नौकरी के दौरान अक्षमता हासिल की है ।' (अनुच्छेद 27)

'राजकीय भागीदार अक्षम व्यक्तियों के स्वयं एवं अपने परिवार के लिए पर्याप्त जीवन मानक को पहचानते हैं, जिसमें पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान और जीवन परिस्थिति में निरंतर सुधार शामिल है, और इस अधिकार की अक्षमता के आधार पर भेदभाव के बिना सुरक्षा एवं प्राप्ति के लिए उपर्युक्त कदम उठायेंगे ।' (अनुच्छेद 28)

'राजकीय भागीदार अक्षम व्यक्तियों के अन्यों से समान आधार पर सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के अधिकार को पहचानते हैं ।' (अनुच्छेद 30)

5. निरीक्षण एवं क्रियान्वयन कदम

'वर्तमान संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए राजकीय भागीदार नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में स्वयं सक्षम होने के लिए जरूरी समुचित जानकारी इक्ट्ठा करेंगे, जिसमें, सांख्यिकि एवं अनुसंधान आकड़े भी शामिल हैं ।' (अनुच्छेद 31)

'राजकीय भागीदार वर्तमान संयोजन के उद्देश्यों और प्रायोजन की प्राप्ति के राष्ट्रीय प्रयासों को बल देने में और राज्यों के बीच में एवं प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं और नागरिक समाजों विशेषतयाः अक्षम व्यक्तियों की संस्थाओं के साथ भागीदारी के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और उसके प्रोत्साहन के महत्व को पहचानते हैं और इस संबंध में उपयुक्त और प्रभावी कदम उठायेंगे ।' (अनुच्छेद 32)

'राजकीय भागीदार अपनी संस्था की प्रणाली के अनुसार, वर्तमान संयोजन के क्रियान्वयन के लिए सरकार के अन्दर एक अथवा इससे अधिक केंद्रिय बिन्दुओं का निर्धारण करेंगे और सरकार के अन्दर संयोजक मशीनरी के निर्धारण अथवा स्थापना पर उचित ध्यान देंगे ताकि विभिन्न क्षेत्रों एवं विभिन्न स्तरों पर संबंधित कार्य को बढ़ावा दिया जा सके ।' (अनुच्छेद 33)

संयोजन क्रियान्वयन का निरीक्षण – नागरिक समुदायों की भूमिका

अनुच्छेद–33 व्याख्या करता है कि राज्यों को संयोजन नीतिवचन क्रियान्वयन निरीक्षण के लिए सरकारों में राष्ट्रीय केंद्र बिन्दुओं की स्थापना अवश्य करनी चाहिए । राज्यों को एक प्रकार की स्वतंत्र निरीक्षण मशीनरी की स्थापना भी जरूर करनी चाहिए – जो अक्सर स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था का रूप ले लेती है। राष्ट्रीय निरीक्षण एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया में नागरिक समुदायों विशेष रूप से अक्षम व्यक्तियों और उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी अत्यावश्यक है । अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण अक्षम व्यक्ति अधिकार आयोग और राजकीय भागीदार के सम्मेलन द्वारा किया जायेगा ।

- राजकीय भागीदार सम्मेलन संयोजन हस्ताक्षरधारियों की उपस्थिति से होगा, और इसे संयोजन क्रियान्वयन संबंधी किसी भी विषय पर ध्यान देने का अधिकार होगा । राजकीय भागीदार सम्मेलन की पहली बैठक का आयोजन सामान्य सचिव द्वारा संयोजन के बल में प्रवेश के बाद 6 महीने से अधिक की देरी से नहीं होगा । बाद की बैठकों का आयोजन सामान्य–सचिव द्विवर्षीय अथवा राजकीय भागीदार सम्मेलन के निर्णय पर करेंगे । सम्मेलन अक्षम व्यक्ति अधिकार आयोग के सदस्यों का चुनाव करेगा ।

- अक्षम व्यक्ति अधिकार आयोग में संभावित 18 विशेषज्ञों की सदस्यता होगी, जो सरकारी प्रतिनिधित्व के बजाए अपनी वैयक्तिक क्षमता में चार वर्षों के लिए सेवा करेंगे । (आयोग के पहले 6 सदस्यों का सेवाकाल 2 वर्षों के उपरांत समाप्त हो जायेगा ।) संयोजन के बल में प्रवेश के बाद राजकीय भागीदार प्रत्येक दो वर्षों में इस आयोग को प्रतिवेदन प्रदान करेंगे । प्रतिवेदन संयोजन क्रियान्वयन प्रगति की विस्तृत व्याख्या करेगा ।

'अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों पर एक आयोग की स्थापना की जायेगी .... जो यहाँ इसके बाद दिए गए कार्यो को करेगा ।'

'वर्तमान संयोजन के बल में प्रवेश के समय आयोग बारह विशेषज्ञों से बनेगा ।'

'आयोग के सदस्यों का चुनाव राजकीय भागीदार करेंगे ।' (अनुच्छेद 34)

'हर राजकीय भागीदार संयुक्त राष्ट्र के सामान्य सचिव के द्वारा, वर्तमान संयोजन के दायित्वों को प्रभावी बनाने के लिए उठाए गये कामों एवं इस संबंध में की गई प्रगति का विस्तृत प्रतिवेदन आयोग को, प्रासंगिक

राजकीय भागीदार के लिए वर्तमान संयोजन के बल में प्रवेश के दो वर्षों के भीतर जमा करायेगा ।' (अनुच्छेद 35)

'आयोग हर प्रतिवदेन पर ध्यान देगा और प्रतिवेदन पर खुद को उचित लगने वाले सुझाव एवं सामान्य अनुमोदन कर के इसे संबंधित राजकीय भागीदार को प्रेषित करेगा । राजकीय भागीदार अपनी चुनी हुई किसी भी जानकारी से आयोग को जवाब दे सकता है । आयोग वर्तमान संयोजन क्रियान्वयन से संबंधित अतिरिक्त जानकारी की प्रार्थना राजकीय भागीदार से कर सकता है ।' (अनुच्छेद 36)

'हर राजकीय भागीदार आयोग के साथ सहयोग करेगा और उसके सदस्यों को इसके अधिदेश की पूर्णप्राप्ति में सहायता करेगा ।' (अनुच्छेद 37)

'वर्तमान संयोजन के प्रभावी क्रियान्वयन और वर्तमान संयोजन द्वारा तय क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का पोषण करने के लिए :

'(क) विशेष संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्रों के अन्य अंगों को वर्तमान संयोजन के ऐसे प्रावधानों जो उनके अधिादेश क्षेत्र के अंतर्गत आते हों पर चर्चा के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकृत किया जायेगा । आयोग विशेषज्ञ संस्थाओं और अन्य सक्षम निकायों को क्रमशः उनके अधिदेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संयोजन विषयों के क्रियान्वयन पर विशेषज्ञ सुझाव प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर सकता है । आयोग विशेषज्ञ संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्रों के अन्य अंगों को अपनी गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संयोजन विषयों के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन जमा करने के लिए आमंत्रित कर सकता है;

'(ख) आयोग अपने अधिदेश के निर्वाहन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार समझोतों द्वारा स्थापित प्रासंगिक एवं उचित अन्य निकायों, से उनके अपने प्रतिवेदन में क्रमशः, मार्गदर्शिकाओं, सुझावों, एवं सामान्य अनुमोदनों और अपने कार्यो के निष्पादन में अति व्याप्ति एवं दोहराव से बचाव को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से परामर्श करेगा ।' (अनुच्छेद 38)

'आयोग हर दो वर्षो में अपनी गतिविधियों का प्रतिवेदन सामान्य सभा और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् को प्रस्तुत करेगा और राजकीय भागीदारों से प्राप्त जानकारीयों और प्रतिवेदनों के परीक्षण पर आधारित सामान्य अनुमोदन और सुझाव देगा । ऐसे सुझाव और सामान्य अनुमोदन राजकीय भागीदार की टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ आयोग के प्रतिवेदन में शामिल होंगे ।' (अनुच्छेद 39)

'राजकीय भागीदार नियमित तौर पर राजकीय भागीदार सम्मेलन में मिलेंगे ताकि वर्तमान संयोजन के क्रियान्वयन संबंधी किसी भी मसले पर ध्यान दिया जा सके ।' (अनुच्छेद 40)

*मैंने अनुच्छेदों 41 से 50 तक को शामिल नहीं किया है, जिनका हस्ताक्षर और प्रचालन इत्यादि संबंधी औपचारिकताओं से ज्यादा लेना देना है । इसी तरह से मैंने अनुच्छेद 2 को भी इसकी तकनीकी शब्दावली के कारण शामिल नहीं किया है ।

संयोजन को कैसे सफल बनाया जाए

संयोजन मोलभाव के अंत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतिम लेख को अपनाने करने के बाद, संयोजन की सफलता के लिए दो चीजों को करना जरूरी है :

▪संयोजन के अंतिम खाके को अंतर्राष्ट्रीय नियम बनने में दो कदमों का अंतर :

कदम 1 – हस्ताक्षर और अनुसमर्थन : संयोजन पर राष्ट्रों के हस्ताक्षर और अनुसमर्थन की जरूरत है । जब राष्ट्र ऐसा करते हैं तो उन्हें संयोजन में 'राजकीय भागीदार' कहा जाता है । (हम कुछ क्षण में अनुसमर्थन क्या है पर विस्तार से चर्चा करेंगे ।)

यदि कोई देश संयोजन में राजकीय भागीदार नहीं बनने का निश्चय करता है, तब वह देश संयोजन में स्थापित दायित्वों के निर्वाहन के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है । इसे दिमाग में रखकर, हम अधिक से अधिक देशों को राजकीय भागीदार बनाना चाहेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों में अक्षम व्यक्ति अक्षमता संयोजन का लाभ प्राप्त कर सकें !

कदम 2 – ''बल में प्रवेश'' – पर्याप्त देशों के ''हस्ताक्षर'' सुनिश्चित करना । यहाँ ध्यान देने योग्य यह बात है कि राजकीय भागीदार बनने के बाद भी किसी देश को संयोजन के विस्तृत प्रावधानों को मानने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक की संयोजन बल प्रवेश न कर ले । विशेष रूप से, मानव अधिकार संयोजन निर्धारित करता है कि संयोजन को सक्रिय होने से पहले निश्चित संख्या में देशों का राजकीय भागीदार बनना आवश्यक है । यह 'सक्रियता' अंतर्राष्ट्रीय नियम में ''बल में प्रवेश'' के नाम से जानी जाती है।

ज्ब एक संयोजन बल में प्रवेश करता है, तब सभी राजकीय भागीदारों के लिए संयोजन के कानूनी दायित्वों का पालन जरूरी हो जाता है । हमें अभी तक यह नहीं मालूम है कि अक्षमता संयोजन को बल में प्रवेश के लिए कितने देशों की राजकीय भागीदारी की आवश्यकता है, लेकिन अन्य मानव अधिकार संयोजनों में प्रयुक्त प्रतिकारात्मक संख्या 20 है । इसे हमें न्यूनतम के रूप में देखना चाहिए, और दिमाग में रखना चाहिए कि हम आदर्श रूप से हर संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य को संयोजन का भागीदार बनाना चाहते हैं ।

▪एक नया अंतर्राष्ट्रीय नियम – अब क्या ?

एक बार जब हमारे पास संयोजन के लिए पर्याप्त राजकीय भागीदार हो जाये और संयोजन बल में प्रवेश कर ले, तब अगला कदम है संयोजन का क्रियान्वयन । क्रियान्वयन में शामिल है राजकीय भागीदारों द्वारा संयोजन के अंतर्गत अपने कानूनी दायित्वों के पालन की आवश्यकता के लिए उठाए गये कदम । कुछ देशों को क्रियान्वयन के लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत होगी, जबकि अन्य देशों को थोड़ा कम काम करने की आवश्यकता होगी ।

सभी देशों में, हालांकि, सफल क्रियान्वयन में समय लगेगा और इसके लिए अक्षम समुदायों एवं सरकारों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है । क्रियान्वयन की सफलता के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर सावधान निरीक्षण की भी आवश्यकता है । यही वह निरीक्षण है जो हमें यह देखने में सक्षम बनायेगा कि राजकीय भागीदारों ने संयोजन के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति की है, और क्या कोई राजकीय भागीदार संयोजन में स्थापित अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है ।

संयोजन का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक कैसे करें

संयुक्त राष्ट्र संयोजन का क्रियान्वयन एक जटिल और जबरदस्त क्षमता वाली चीज है ! यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जिसे किया जा सकता है और बहुत से मामलों में, गैर सरकारी संस्थायें केवल निरीक्षण और समझौता निकाय के कार्य पर केंद्रित रहती है, लेकिन वास्तव में यह तो, क्रियान्वयन क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए का, केवल एक छोटा सा ही भाग है । यह हिस्सा क्रियान्वयन कार्यक्रम को विकसित करने के लिए एक खाका प्रदान करेगा – ऐसी कुछ चीज़ जिसे हम क्रियान्वयन का ''क ख ग'' कहना चाहेंगे ।

अधिकार–आधारित दृष्टि को ग्रहण करना

बदलाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण

अपनी सफलताओं और विफलताओं की गिनती

अधिकार आधारित दृष्टिकोण को ग्रहण करना

कदम 1 – वातावरण पड़ताल

संयोजन पर पुर्नदृष्टि डालिए और उसके साथ साथ, अपनी संस्था द्वारा किए जा रहे काम अथवा भविष्य में, क्या करना चाहोगे के बारे में सोचिए ।

कदम 2 – वातावरण का अपने मुख्य बिंदुओं के साथ मिलान

थोड़ा और सोचिए कि आपकी संस्था क्या कर रही है, अथवा क्या करना चाहेगी । इसको उस अनुच्छेद के साथ जोड़िए जो इस काम से बेहद निकटता से संबंधित है । ऐसा करने के लिए, अपनी संस्था का SWOT विश्लेषण का कार्य कारना लाभदायक होगा । SWOT विश्लेषण एक प्रभावी तरीका है अपने वातावरण को देखने और अपनी कमजोरियों एवं शक्तियों को पहचानने का और अपनी संस्था के सम्मुख आने वाले खतरों और अवसरों के परीक्षण का । नये संयोजन के क्रियान्वयन के संदर्भ में, SWOT विश्लेषण तुम्हारी गतिविधियों को उन क्षेत्रों में जहाँ तुम्हारा समूह शक्तिशाली है और जहाँ सर्वोच्च अवसर पाये जाते हैं में केंद्रित करने में भी मदद कर सकता है । SWOT तुम्हारी मदद उन कमजोर क्षेत्रों के निर्धारण में भी कर सकता है जिन्हें या तो तुम ठीक कर सकते हो या फिर अपने देश में संयोजन को क्रियान्वित और निरीक्षण करने के अपने प्रयासों में उनकी अनदेखी कर सकते हो ।

SWOT का प्रयोग कैसे करो :

SWOT विश्लेषण करने के लिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए । जहाँ उचित लगे वहाँ प्रश्नों में सुधार के लिए खुद को स्वतंत्र महसूस करिए :

अपनी संस्था के और जिन लोगों के साथ आपका व्यवहार है उनके दृष्टिकोण से इन पर ध्यान दीजिए। विनीत मत बनिए – व्यवहारिक रहिए । अगर आपको इसमें कोई कठिनाई आ रही है, तो अपने समूह की विशेषताओं को सूचीबद्ध करने की कोशिश करिए । इनमें से शायद कुछ आपकी शक्तियाँ हों !

शक्तियाँ :

- आपके लिए लाभदायक स्थितियाँ कौन सी है ?
- आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो ?
- दूसरे लोग किसे आपकी शक्ति के रूप में देखते हैं ?

कमजोरियाँ :

- आप किसमें सुधार कर सकते हो ?
- आप खराब तरह से क्या करते हो ?
- आपको किसकी अनदेखी करनी चाहिए ?

फिर से, इस पर आंतरिक एवं बाह्य आधार पर ध्यान दीजिए – क्या अन्य लोग आपकी ऐसी किसी कमजोरीयों को देख पाते हैं, जिसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती ? अभी व्यवहारिक होना, और किसी भी दु:खद सच्चाई का सामना जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना अच्छा है ।

ध्यान रखिए कि नये संयोजन के अवतरण के साथ कई उपयोगी अवसर आयेंगे । इस वक्त इनमें से जितने संभव हों उतनों का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश लाभदायक होगी ।

मौके

- आपके सामने कौन से अच्छे अवसर हैं ?
- आप किन रूचिकर प्रवाहों से अवगत हो ?

इस प्रकार का विश्लेषण क्या करने की जरूरत है को दर्शाने में, और समस्याओं को प्ररिप्रेक्ष्य में रखने, दोनो ही स्थितियों में ज्ञानवर्धक होगा ।

खतरे

- आपने किन बाधाओं का सामना किया ?
- क्या आपके समूह के पास कार्यावश्यक समस्त कौशल है ?

कदम 3 – इस अधिकार के पूर्ण क्रियान्वयन के दृष्टिकोण का विकास

अब जबकि आपने अपने कार्य को अ. व्य. अधि. सयो. (सीआरपीडी) के किसी एक विशेष अनुच्छेद से जोड़ लिया है, हम सुझाव देंगे कि आप समझौते को पुनः देखिए और सावधानीपूर्वक अनुच्छेद दुबारा पढ़िए कि यह क्या कहता है, कि अधिकार में क्या शामिल है और इसकी प्राप्ति कैसे करनी चाहिए ।

बदलाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण

कदम 1 – अपने दृष्टिकोण की पूर्ति के लिए आवश्यक उद्‌देश्यों की पहचान

इसका उत्सर्जन कैसे होगा यह विभिन्न कारकों पर निर्भर है । वातावरण के अवलोकन और SWOT विश्लेषण से प्राप्त जानकारी, इसकी बुद्धिमता पूर्ण योजना बनाने की कुंजी है । हालांकि, मुद्‌दे से मुद्‌दे की अथवा एक देश की दूसरे देश से भिन्नता के बावजूद भी हमेशा ही ऐसा होता है कि किसी बड़े उद्‌देश्य के लिए अथवा जिसे हमने ऊपर एक ''अधिकार आधारित दृष्टि'', कहा है कि प्राप्ति के रास्ते में बहुत से श्रेणीवद्ध कदम शामिल होते हैं उदाहरण के लिए, यदि आपकी संस्था को शिक्षा को अपनी प्राथमिकता के रूप में निर्धारित करना है, तब आपको शिक्षा की समान सुगमता सुनिश्चित करने में सम्मिलित कारको को पहचानने की आवश्यकता होगी, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण जानकारी और सुगम भवन से लेकर और भी बहुत, बहुत सी अन्य चीजें शामिल हैं । अपने उद्‌देश्य पूर्ति के लिए, यह वह सब है, जिससे हमारा तात्पर्य कर्मवाक्य है ।

कदम 2 – अपने मुख्यबिंदुओं के अग्रिम प्रेषण में मद्‌दगार गतिविधियों की पहचान

संयुक्त राष्ट्र समझौते का क्रियान्वयन एक कठिन एवं जबरदस्त क्षमता वाली चीज़ को करने का प्रयास है। यहाँ ऐसा बहुत कुछ हैं जिसे बहुत से मामलों में किया जा सकता है, गैर सरकारी संस्था केवल

निरीक्षण और समझौता निकाय के कार्य पर केंद्रित रहती है, लेकिन वास्तव में यह तो क्रियान्वयन क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए का केवल एक छोटा–सा भाग है । हम उम्मीद करते हैं कि अब तक शायद स्पष्ट हो गया होगा, कि जबकि समझौता निकाय कार्य और अन्य चीजें जैसे परछाई प्रतिवेदन बेहद महत्वपूर्ण है, यह केवल एक भाग है कि कैसे नागरिक समाज अ. व्य. अधि. सं का क्रियान्वयन कर सकता है ।

इसे ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा यदि गैरसरकारी संस्थाओं को शिक्षा की केवल उन घटनाओं का प्रतिवेदन करना है, जहाँ, उदाहरण के लिए ''अधिकार आधारित दृष्टि'' उनके समतुल्य नहीं आ पा रही है । यद्यपि इसकी शुरूआत क्रियाकलापों के लिए नये संयोजन द्वारा प्रस्तुत सभी अवसरों का फायदा उठाने से नहीं होती है जैसे कि सरकारों और प्रशासकों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के स्त्रोतों का विकास, अथवा अक्षम विद्यार्थियों की शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए स्त्रोत सामग्री का विकास एवं प्रशिक्षण,

यही बाद के कदम, जैसे प्रशिक्षण अथवा स्त्रोतों का प्रावधान समाज को समावेशन और सुगम शिक्षा के उद्‌देश्यों के नजदीक लाने में बेहद प्रभावी हो सकते है । इसी प्रकार की गतिविधियों के द्वारा हम वास्तव में अदृश्यता के मुद्‌दे को भी मुखरित कर सकते हैं, जो अक्सर अक्षम व्यक्तियों के सामने आने वाले बहुत से अवरोधों के केन्द्र में होता है ।

कदम 3 – बृहतर समुदाय से सहयोगियों की पहचान

अ. व्य. अधि. संयो उन समूहों से आगे पहुँच पाने का एक अद्‌भुत अवसर प्रदान करता है जिनके साथ जिला परियोजना अधिकारी प्रचलित कार्य करते हैं । संपूर्ण संयोजन विकास प्रक्रिया के दौरान, जिला परियोजना निरीक्षक और दूसरे अन्य जिला परियोजना अधिकारियों ने दूसरी मानव अधिकारों और समानता चाहने वाली संस्थाओं से संबंध विकसित करने की शुरूआत कर दी है । साथ ही सरकार के साथ हमारे संपर्कों ने उन क्षेत्रों में भी विस्तार पा लिया जहाँ पिछले प्रयासों में हम बहुत उपयोगी संपर्क स्थापित नहीं कर पाये थे ।

एक बार जब आपने अपनी संस्था के मुख्य बिंदुओं के महत्व के क्षेत्रों की पहचान कर ली है, और अपने उद्‌देश्य अथवा ''अधिकार–आधारित दृष्टि'' की प्राप्ति के लिए इच्छित गतिविधियों के प्रकार पर निर्णय ले लिया है, अब आपको सावधानीपूर्वक यह सोचना चाहिए कि समाज में से भी कौन इस चन्हित मुद्‌दे पर

जिम्मेदारी उठा सकता है । यहाँ से आपको यह निश्चित करने की आवश्यकता होगी कि इस समूह में से वह कौन है जो आपके मित्र बन सकते हैं और उस सूची को दिमाग में रख आपको दूसरों के पास अपने विचारों के साथ जाने की शुरूआत करनी चाहिए और सहयोग के लिए उनकी इच्छा जाननी चाहिए । जैसा कि ऊपर कहा गया है, संयोजन विकास प्रक्रिया इस तरह की गतिविधियों से परिपूर्ण थी और बहुत से मामलों में परिणाम बेहद घनात्मक थे ।

शायद इसका अकेला सबसे अच्छा उदाहरण है सरकारों का आपस में सहयोग ! हममें से जो लोग प्रचार कार्य में शामिल है वह सरकारों और नागरिक समाजों के अक्सर अप्रिय संबंधों से परिचित हैं, लेकिन अ. व्य. अधि. संयोजन का विकास इसका अपवाद है और जैसे–जैसे हम क्रियान्वयन अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं इसे उदाहरण के रूप में कार्य करना चाहिए ।

अपनी सफलताओं एवं विफलताओं की गिनती :–

अंत में, क्रियान्वयन के क ख ग के साथ हम मूल्यांकन के बिंदु तक पहुँच गये हैं । किन कारकों से काम हुआ और किनसे नहीं, इसकी स्पष्ट समझ होना अतिआवश्यक है । केवल मूल्यांकन से ही आपकी संस्था अपनी गलतियों से सीख और अपनी सफलताओं को दोहरा पायेगी । मूलयांकन और आत्म–विश्लेषण संस्था की उन्नति और सुधार की कुंजी है ।

यह सिद्धांत प्रभावी मूल्यांकन कार्य के केंद्रिय मूल्यों को दर्शाते हैं । निर्देशात्मक सिद्धांत मूल्यांकनकर्त्ताओं और मूल्यांकन प्रक्रिया दोनों की ही मूलभूत उम्मीदों का ध्यान रखते हैं ।

स्वतंत्रता – मूल्यांकनकर्त्ता का निर्णय दबाव अथवा रूचियों के प्रतिद्वंद से प्रभावित नहीं होता है । मूल्यांकन दल के सदस्यों का मूल्यांकित की जाने वाली गतिविधियों में शामिल नहीं होना अनिवार्य है ।

निष्पक्षता :– मूल्यांकनकर्त्ता की वैयक्तिक पसंद का मूल्यांकन पर कोई असर नहीं पड़ता है । मूल्यांकन, कमजोरियों और शक्तियों का संतुलित अति प्रदर्शन आवश्यक है ।

वास्तुपरकता :– मूल्यांकन तथ्यों की सत्यापित की जा सकने वाली खोजों में रहता है । निर्णयों का तथ्यात्मक कथनों से स्पष्ट अंतर जरूरी है ।

पारदर्शिता :– मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों, कारकों और निर्णयों की पहचान एवं स्पष्ट व्याख्या ।

व्यवहारिकता – मूल्यांकन के लिए आवश्यक स्त्रोतों और उचित कार्यविधि की उपलब्धता ।

स्वामित्व :– मूल्यांकन व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुँचाता ।

व्यय–कुशलता – मूल्यांकन न्यूनतम व्यय में किया जाता है ।

सटीकता :– आंकड़ों में मूल्यांकन के महत्व की त्रुटियाँ ना हो ।

न्यायत्व – मूल्यांकन शक्तियों, कमजोरियों और विभिन्न विचारों का संतुलित प्रदर्शन करता है ।

विश्वसनीयता – मूलयांकन का आयोजन इस तरह से किया जाता है कि परिणाम विश्वसनीय हो ।

उपयोगिता – मूल्यांकन प्रक्रिया और उससे मिली जानकारी का प्रयोग जिम्मेदारी उठाने वालों और उपभोक्ताओं को करना होता है ।

अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों के संयोजन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

- अंतर्राष्ट्रीय संयोजन क्या है ?
- हमें अक्षम व्यक्तियों के संयोजन की जरूरत क्यों हैं ? क्या उनके अधिकार अन्यों के समान नहीं हैं ?
- विद्यमान विधान के बारे में क्या ? क्या वह काम नहीं कर रहा है ?
- नया संयोजन अक्षम व्यक्तियों की मद्द कैसे करेगा ?
- संयोजन की विषयवस्तु पर निर्णय कैसे हुआ ?
- संयोजन का मोलभाव कैसे हुआ ?
- मोलभाव प्रक्रिया कितनी सुलभ थी ?
- नया संयोजन कब प्रभावी होगा ?
- संयोजन के अंतर्गत क्या–क्या है ?
- क्या यह संयोजन नये अधिकार बनायेगा ?
- क्या यह संयोजन राज्यों के लिए दायित्वों का निर्माण करेगा ?

- संयोजन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के क्या दायित्व हैं ?
- क्या संयोजन को अपनाना देशों के लिए आर्थिक समझ बनायेगा ?
- क्रियान्वयन पर कितना व्यय होगा ?
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संयोजन का निरीक्षण कैसे होगा ?
- अक्षमता क्या है और अक्षम व्यक्ति कौन है ?
- संयोजन में किन अधिकारों को मुखरित किया गया है ?
- क्या भवनों को सुगम बनाना खर्चीला नहीं है ?
- समाज में क्या खो रहा है ?

अंतर्राष्ट्रीय संयोजन क्या है ?

अंतर्राष्ट्रीय संयोजन अथवा समझौता विभिन्न देशों के बीच सहमती है जो अनुबंधित राज्यों पर कानूनी बंधन है । विद्यमान संयोजनों में विभिन्न क्षेत्र जैसे व्यापार, विज्ञान, अपराध, निशस्त्रीकरण, यातायात, और मानव अधिकार शामिल है । एक संयोजन एक विशेष राज्य के लिए कानूनन बंधन तब बन जाता है जब वह राज्य उसका अनुसमर्थन करता है । हस्ताक्षर करने से संयोजन मान्य नहीं हो जाता है, लेकिन यह राष्ट्रों की संयोजन सिद्धांतों के लिए सहयोग और अनुसमर्थन की इच्छा को दर्शाता है । चूंकि संयोजन में शामिल सिद्धांतों को लागू करने के लिए अनुबंधित राज्य कानूनन बाध्य है, अक्सर एक निरीक्षक संकाय की स्थापना की जाती है ताकि राजकीय भागीदारों की संयोजन क्रियान्वयन प्रगति की जांच उनके ही द्वारा नियमित तौर पर जमा कराए प्रतिवेदन से की जा सके । मानव अधिकार संयोजन के पास राज्यों को संयोजन सिद्धांतों अथवा निरीक्षक संकाय के सुझावों के पालन हेतु बाध्य करने के लिए कोई बाध्यीकरण तकनीक नहीं है, और इन संयोजनों का क्रियान्वयन हर देश की वचनबद्धता पर निर्भर करता है ।

हमें अक्षम व्यक्तियों के संयोजन की आवश्यकता क्यों है ? क्या उनके अधिकार अन्यों के समान नहीं हैं ?

मानव अधिकारों की सार्वजनिक उद्घोषणा में सूचीबद्ध अधिकार, एक आदर्श संसार में, सभी को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होते । लेकिन व्यवहार में कुछ निश्चित समूहों, जैसे महिलाओं, बच्चें और शरणार्थियों के समूहों ने दूसरे की अपेक्षा बुरा समय देखा है और अंतर्राष्ट्रीय संयोजन को इन समूहों के मानव अधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए बनाया गया है । इस तरह संसार में 650 मिलियन लोग–संसार की जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत अक्षमता के साथ रह रहा हैं – जिनके लिए मुख्यधारा जनसंख्या अवसरों का आभाव है । उन्हें अनंत शारीरिक और सामाजिक अवरोधकों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें :–

- शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हैं ।
- पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उन्हें अच्छी नौकरी लेने से रोकते हैं ।
- जानकारी पाने से रोकते हैं ।
- स्वास्थ्य की पर्याप्त देखभाल प्राप्त करने से रोकते हैं ।
- इधर–उधर घूमने से रोकते हैं ।
- स्वीकार किए जाने और ''समाहित होने'' से रोकते हैं ।

विद्यमान विधान के बारे में क्या ? क्या वह काम नहीं कर रहा ?

जहाँ कुछ देशों ने इस संबंध में विस्तृत विधान को सक्रिय किया है, बहुतों ने नहीं किया । भेदभाव पूर्ण प्रथाओं के कारण, अक्षम व्यक्ति समाज के हाशिये और परछाई में रहने लगते हैं, और इसका परिणाम है उनके अधिकारों की अनदेखी । एक सार्वजनिक, कानूनन मान्य मानक की जरूरत है जो अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों को हर जगह सुनिश्चित कर सके ।

अक्षमता विधान के प्रोत्साहन के लिए कुछ प्रयास पहले भी किए गए हैं । 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अक्षम व्यक्तियों के लिए अवसरों की समानता के मानक नियमों को अपनाया था जिसने अक्षम व्यक्तियों के लिए अन्यों के समान अवसरों के आनंद के प्रोत्साहन के लिए मार्गदर्शक नीति प्रदान की थी, और इसने बहुत से देशों के लिए आदर्श विधान के रूप में कार्य किया । यह नियम, हालांकि, कानूनन बाध्य उपकरण नहीं है और अक्षमता के प्रचारक ध्यान दें कि लागू किए जा सकने वाले दायित्व बिना संयोजन के नहीं होते हैं ।

नया संयोजन अक्षम व्यक्तियों की मदद कैसे करेगा ?

इतिहास के दौरान, अक्षम व्यक्तियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में देखा जाता रहा है जिन्हें सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है और जो आदर के बजाए सहानुभूति जाग्रत करते हैं । यह संयोजन अक्षम व्यक्तियों के बारे में समाज में बदलाव लाने का एक बढ़ा कदम है और यह सुनिश्चित करता है कि समुदाय पहचान जाये कि सभी व्यक्तियों को अपना जीवन अपनी सर्वोच्च क्षमता, चाहे वह कुछ भी हो, के साथ जीने का अवसर देना जरूरी है ।

संयोजन का अनुसमर्थन करके, और समझौते के बल में प्रवेश के बाद, कोई भी देश समझौते के अंतर्गत अपने कानूनी दायित्वों को स्वीकारेगा और क्रियान्वयन विधान को अपनायेगा ।

अन्य मानवाधिकार समझौतों, जैसे कि बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के संयोजन ने अधिकारों के उल्लघ ांन को मुखारित करने में बहुत प्रभाव डाला है ।

संयोजन की विषयवस्तु पर निर्णय कैसे हुआ ?

संयोजन के मोलभाव ने ''हमारे बारे में कुछ भी, हमारे बिना नहीं'' के नियम को सशक्त किया । संयोजन का खाका अक्षम व्यक्ति अधिकार एवं प्रतिष्ठा के प्रोत्साहन और सुरक्षा पर व्यापक एवं अभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संयोजन की एक तदर्थ समिति ने किया, जो कि संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा की एक समिति है । इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों और पर्यवेक्षकों के लिए खुली है । अपने पहले सत्र के दौरान तदर्थ समिति ने निर्णय लिया कि गैर सरकारी संस्थाओं (गै.स.सं.) के तदर्थ समिति में प्रत्यापित प्रतिनिधि भी बैठकों में भाग ले सकते हैं और संयुक्त राष्ट्र के प्रचलन के अनुसार वक्तव्य दे सकते हैं । तब ही से, सामान्य सभा ने बारंबार आग्रह किया है कि अक्षमता संस्थाओं को तदर्थ समिति के कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रयास किये जाए । इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अक्षम व्यक्तियों की संस्थाएं और अन्य गैर सरकारी संस्थाएं अक्षमता के परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी और जानकारी प्रदान करने में बेहद सक्रिय रही है ।

अपनी स्थापना से अब तक तदर्थ समिति के आठ सत्र हुए हैं । 2002 और 2003 के अपने पहले दो सत्रों में समिति ने अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय उपकरण का खाका बनाने की संभावना पर ध्यान दिया और उपकरणों के प्रकार एवं इसमें शामिल हो सकने वाले संभावित अवयवों पर चर्चा की । दूसरे सत्र में तदर्थ समिति ने संयोजन का खाका बनाने के लिए कार्यकारी समूह की स्थापना की । सरकारी और गैर सरकारी संस्था प्रतिनिधियों से बने कार्यकारी समूह ने जनवरी 2004 में मिलकर मोलभाव के लिए विषय का खाका खींचा । तीसरे, चौथे, पाँचवे, छठे, सातवे और आठवें सत्र में तदर्थ समिति ने अपने मोलभाव को जारी रखा । तदर्थ समिति ने 26 अगस्त 2006 को संयोजन विषय को अंतिम स्वरूप दिया ।

खाका बनाओ समूह का काम खाका संयोजन के संपूर्ण पाठ में शब्दावली एकरसता और संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाओं के प्रतिरूपों में समरूपता सुनिश्चित करना था, इसने सितम्बर 2006 से नवम्बर 2006 तक विषय का पुनरावलोकन किया ।

13 दिसम्बर 2006 को संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा ने अक्षम व्यक्ति अधिकारों के संयोजन और उसकी विकल्प विज्ञप्ति को अपना लिया था ।

संयोजन पर मोलभाव कैसे हुआ ?

सामान्य सभा ने संयोजन पर मोलभाव के लिए 2001 में एक तदर्थ समिति की स्थापना की । इसकी पहली बैठक अगस्त 2002 में हुई थी और विषय का रूपरेखांकन मई 2004 में शुरू हो गया था । अगस्त 2006 में समिति विषय पर सहमति तक पहुँच गई थी । तदर्थ समिति के प्रतिष्ठित सदस्यों ने गैर सरकारी संस्थाओं, सरकारों, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया था । यह पहली बार था जब गैर सरकारी संस्थाओं ने मानव अधिकार उपकरण के निर्माण में सक्रिय भागीदारी की थी ।

मोलभाव प्रक्रिया कितनी सुलभ थी ?

मोलभाव प्रक्रिया के दौरान सुलभता सुनिश्चित करने वाली विधियाँ समय के साथ ज्यादा सुसंस्कृत होती गई। विधियों ने डिस्केट्स और ब्रेल में ब्यौरे से लेकर ई–मेल और बेबसाइट प्रेरित संप्रेषण तक प्रगति की। एक बेबसाइट का निर्माण बेब विषयवस्तु सुलभता मार्गदर्शिका प्रतिमान 1.0 (WCAG 1.0) के सुलभता मान्यता स्तर 'A' के अनुसार किया गया था । अन्य विशेषताओं के साथ इस स्तर की सुलभता प्रयोगकर्त्ताओं को सहायक तकनीकों जैसे कि बेबसाइट को प्रभावी रूप से सुलभ बनाने के लिए पर्दा पाठकों, और विषय को बड़ा करके देखने की आवश्यकता वालो को विषय के आकार के पुनःनिर्धारण की अनुमति देती है । जैसे ही संयोजन मोलभाव विषय पर तदर्थ समिति सत्र के दौरान चर्चा हो जानी थी वैसे ही कार्यरत दस्तावेज़ों को बेबसाइट पर भेज दिया जाता था, यह संयुक्त राष्ट्र के संयोजन पर मोलभाव की एक अनुठी पथा थी । इस प्रकार से बेबसाइट ने, समयानुसार संसार भर के समूहों को विशेष मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान कर, चर्चा की तीव्र उन्नति को त्वरित रूप से संसार भर के लिए सुलभ कर दिया । इसके अतिरिक्त, न्यूर्याक में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सम्मेलन कक्ष जहाँ मोलभाव हुआ था, को मोलभाव प्रक्रिया के बीच में ही वाई फाई सुलभ बना दिया गया था । वाई–फाई ने कक्ष के लोगों को जहाँ आवश्यक हो वहाँ सहायक तकनीकी के प्रयोग से, चर्चा किये जा रहे दस्तावेज़ों को पढ़ने और

प्राप्त करने में सहायता दी । तदर्थ समिति की सभी बैठकें पहिया कुर्सी सुगम सम्मेलन कक्ष में हुई थी और श्रवण बाधित व्यक्तियों के अनुरोध पर गला बंध (Neek loops) उपलब्ध कराए गये थे ।

नया संयोजन कब प्रभावी होगा ?

बीस देशों के इसका अनुसमर्थन करने के 30 दिन बाद संयोजन प्रभावी हो जायेगा अथवा बल में प्रवेश कर लेगा ।

संयेाजन में क्या–क्या आता हैं ?

संयोजन का प्रायोजन है अक्षम व्यक्तियों द्वारा समस्त मानव अधिकारों के एक समान और पूर्ण आनन्द को प्रोत्साहित, सुरक्षित और सुनिश्चित करना । इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में मुख्य क्षेत्र आते हैं जैसे कि सुलभता, वैयक्तिक गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पुर्नवास एवं आवास, राजनीतिक जीवन में भागीदारी और समानता एवं भेदभावना रहित । संयोजन ने अक्षमता की सोच में भी समाज कल्याण चिंतन से लेकर मानव अधिकार तक के बदलाव को चिन्हित किया है, जो पहचानता है कि सामाजिक अवरोध और पूर्वाग्रह स्वयं अक्षम बनाने वाले हैं ।

क्या यह संयोजन नये अधिकार बनायेगा ?

नहीं, संयोजन किन्हीं नये अधिकारों अथवा ''पदाधिकारों'' की रचना नहीं करेगा । हालांकि संयोजन विद्य मान अधिकारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करेगा कि अक्षम व्यक्तियों की आवश्यकता और स्थिति मुखारित हो जाए ।

क्या यह संयोजन राज्यों के लिए दायित्वों का निर्माण करेगा ?

हाँ, राज्य अक्षम व्यक्तियों के मानव अधिकारों को बिना किसी भेदभाव के प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाने के लिए दायित्वबद्ध होंगे । इन कदमों में शामिल है भेदभाव विरूद्ध विधान, अक्षम व्यक्तियों के विरूद्ध भेदभाव करने वाली प्रथाओं और कानूनों को हटाना, और नई नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाते समय अक्षम व्यक्तियों का ध्यान रखना । अन्य कदमों में शामिल हैं अक्षम व्यक्तियों के लिए साधनों, सामग्रियों और सेवाओं की सुलभता ।

संयोजन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के क्या दायित्व हैं ?

संयोजन के राजकीय भागीदार समर्पित हो रहे हैं :

- अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करने के लिए
- अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए
- अक्षम व्यक्तियों के अधिकारों की पूर्ति के लिए

क्या संयोजन को अपनाना राज्यों के लिए आर्थिक समझ बनायेगा ?

हाँ, जनसंख्या के महत्वपूर्ण हिस्से के मूल मानव अधिकारों पर कीमत पर्ची लगाने की प्रत्यक्ष समस्या से परे, ऐसा लगता है कि अक्षम व्यक्तियों को स्वयं की क्षमतानुसार जीवन जीना सुनिश्चित करना वास्तव में एक अच्छा अर्थशास्त्र है । जब उनके रास्ते में कोई अवरोध नहीं होता, तब अक्षम व्यक्ति, बाकी सभी की तरह उपभोक्ता, कर दाता, स्वरोजगारधारी एवं नौकरी पेशा लोग होते हैं ।

क्रियान्वयन पर कितना व्यय होगा ?

देशों के निजी स्त्रोतों के अनुसार संयोजन अपने बहुत से प्रावधानों की ''प्रगतिशील पूर्ति'' के लिए कहता है। कुछ कदमों के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, और ऐसी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता – जिसने अब तक अक्षम व्यक्तियों की आवश्यकताओं की अनदेखी की है–कम स्त्रोत वाले देशों की मदद करेगी ।

संयोजन के अनुसार बदलाव करना न केवल अक्षम व्यक्तियों को ही बल्कि अन्य लोगों को भी फायदा पहुँचायेगा । उदाहरण के लिए किसलपट्टी और एलीवेटर सभी के लिए ज्यादा विकल्प प्रदान करेंगे। संयोजन के समंजन के लिए नमूनों में आवश्यक बदलाव, समय के साथ, अनूठे और नये विचारों को पैदा करेगा ताकि सभी व्यक्तियों के, ना कि केवल अक्षम व्यक्तियों के ही, जीवन में सुधार हो सके ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयोजन का निरीक्षण कैसे होगा ?

एक बार संयोजन के बल में प्रवेश के बाद, अक्षम व्यक्ति अधिकारों की एक समिति इसके क्रियान्वयन का निरीक्षण करेगी । संयोजन का अनुसमर्थन करने वाले देशों को अपनी प्रगति का नियमित प्रतिवेदन समिति को भेजना होगा । विज्ञप्ति के अनुसमर्थन का चुनाव करने वाले देशों के नागरिकों के पास यदि कोई और राष्ट्रीय विकल्प नहीं बचता है तो एक वैकल्पिक विज्ञप्ति समिति से वैयक्तिक शिकायत करने की संभावना की अनुमति देगी ।

अक्षमता क्या है ? और अक्षम व्यक्ति कौन है ?

शब्दांश अक्षम व्यक्ति, सभी अक्षम व्यक्तियों पर लागू होता है इनमें लंबे समय से मानसिक, शारीरिक बौद्धिक अथवा इंद्रियात्मक बाधाओं वाले व्यक्ति शामिल हैं, यह बाधाऐं विभिन्न वातावरणीय और अभिवृतिय अवरोधकों के मेलजोल से, समाज में अन्यों के समान इनकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी को रोकती है । हालांकि संयोजन के अंतर्गत सुरक्षा का दावा करने वाले व्यक्तियों की यह न्यूनतम सूची इसके अंतर्गत आने वाली अक्षमता की श्रेणियों का पूरी तरह खात्मा नहीं करती हैं और ना ही यह राष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत अक्षमता की विस्तृत परिभाषा (जैसे कि कम अवधि की अक्षमता वाले व्यक्ति) की राह में ही आती अथवा उसमें कमी करती है । यहाँ यह भी महत्वपूर्ण बात है कि अक्षम व्यक्ति समुदाय में निभाई जाने वाली स्वयं की भूमिका के आधार पर एक समुदाय अथवा स्थिति में अक्षम व्यक्ति के रूप में जाने जा सकते हैं, लेकिन दूसरी स्थिति में नहीं। अक्षमता की अवधारणा और वास्तविकता, उपलब्ध सेवाओं, सहायताओं और तकनीकों के साथ–साथ सांस्कृतिक विचारों पर भी निर्भर रहती है ।

संसार के बहुत से हिस्सों में निश्चित स्थितियों और भिन्नताओं वाले व्यक्तियों के विरूद्ध गहरे और आग्रही अंधविश्वास और पूर्वाग्रह है । हर समाज में यही यह अभिवृतियाँ हैं जो स्वयं साकार करती हैं, कि किसे अक्षम व्यक्ति माना जाए और इसके साथ–साथ अक्षम व्यक्तियों की प्रतिमा को भी ऋणात्मक बनाने में योगदान देती हैं । अक्षम व्यक्तियों का जिक्र करने में इस्तेमाल भाषा ने भी ऋणात्मक अंधविश्वासों के प्रचलन में विशेष भूमिका निभाई है । स्पष्टतयाः, ''मंद बुद्धि'' अथवा '' लंगड़ा–लूला'' जैसी शब्दावलीयाँ निरादरसूचक हैं । अन्य शब्दावलियाँ जैसे कि ''पहियेदार कुर्सी–बाध्य'' अथवा ''अक्षम व्यक्ति'', व्यक्ति से पहले अक्षमता पर जोर देती हैं ।

इस संयोजन की रूपरेखा बनाने वाले पूर्णतया आश्वस्त थे कि अक्षमता को व्यक्ति और उसके वातावरण के बीच के व्यवहार के परिणाम स्वरूप देखना चाहिए । अक्षमता किसी बाधा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में रह जाने वाली कोई चीज़ नहीं है । यह संयोजना मानता है कि अक्षमता एक उत्सर्जित हो रही संकल्पना है और यह भी कि विधान को समाज में हो रहे घनात्मक बदलाव दर्शाने के लिए अपनाया जा सकता है ।

अक्षमता व्यक्ति में नहीं समाज में होती है ।

- पहियेदार कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति को अर्थपूर्ण रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है अपनी स्थिति के कारण नहीं बल्कि उसकी सुलभता को रोकने वाली बातावरणीय बाधाओं के कारण जैसे कि काम की जगह पर असुगम बसें अथवा सीढ़ियों ।

- मानसिक अक्षमता वाले बच्चे को शिक्षक, विद्यालय मंडल और विभिन्न अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थी के अनुसार ढलने में अक्षम अभिभावकों की अभिवृत्ति के कारण स्कूल जाने में कठिनाई हो सकती है।

- एक समाज में जहाँ किसी अत्याधिक मायोपिया (निकट दृष्टिदोष) वाले के लिए सुधारक लैंस उपलब्ध है, इस व्यक्ति को अक्षमता वाला व्यक्ति नहीं माना जायेगा, हालांकि एक समाज में जहाँ सुधारक लैंस उपलब्ध नहीं है समान स्थिति वाले किसी भी व्यक्ति को अक्षम माना जायेगा विशेषतयाः यदि दृष्टि का स्तर उस व्यक्ति को उससे अपेक्षित कार्यों जैसे जानवर चराने, सिलाई करने, खेती करने से रोकता हो ।

संयोजन में किन अधिकारों को मुखरित किया गया है ?

संयोजन का उद्देश्य है अक्षम व्यक्तियों के समस्त मानव अधिकारों का एक समान और पूर्ण आनंद को प्रोत्साहित, सुरक्षित और सुनिश्चित करना । संयोजन के अनुच्छेद समस्त अधिकारों, नागरिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक को पहचानते हैं । संयुक्त राष्ट्र इस अवधारणा को प्रोत्साहित करता है कि इन अधिकारों को पृथक नहीं किया जा सकता है, और इस प्रकार से संयोजन उन्हें व्यक्तियों के अधिकारों के संपूर्ण छायाक्रम के एकीकृत आयाम की तरह संभाषित करता है । यह अधिकार राज्यों के लिए कार्य – परिचायक नीतिगत हस्तक्षेपों की पहचान करते हैं, नीति व्यवधानों के रूप में होती है, ताकि वैधानिक और न्यायिक प्रणाली को संयोजन की राह पर लाया जा सके ।

संयोजन में आने वाले विशेष अधिकारों में शामिल हैं :–

- कानून के सामने समान सुरक्षा
- व्यक्ति की स्वतंत्रता और रक्षा
- यातना से मुक्ति
- व्यक्ति की एकाग्रता की सुरक्षा

- राष्ट्रियता एवं गतिविधि की स्वतंत्रता
- अभिव्यक्ति की आजादी
- निजता का आदर
- जन जीवन में भागीदारी का अधिकार
- शोषण से आजादी
- परिवार एवं घर लिए आदर
- समुदाय में रहने का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- जीने का अधिकार
- स्वास्थ्य का अधिकार
- आवास एवं पुर्नवास
- रोजगार का अधिकार
- जीवन के पर्याप्त मानकों का अधिकार
- सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार

क्या भवनों को सुगम बनाना खर्चीला नहीं है ?

समय के साथ, नया निर्माण अक्षम व्यक्तियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने वाले नमूनों के अनुसार होना चाहिए । विश्व बैंक ने अध्ययनों में पाया है कि, निर्माण के समय इमारतों में इन विशेषताओं का खर्च न्यूनतम है । यह भी दर्शाया गया है कि इमारतों को सुलभ बनाना निर्माण खर्च में एक प्रतिशत से भी कम का व्यय जोड़ता है ।

समाज क्या खो रहा है ?

गुणों का बड़ा कुंड । अक्षम व्यक्ति गुणों, कौशलों एवं निपुणताओं की एक विस्तृत सारणी का योगदान कर सकते हैं । अक्षम व्यक्तियों द्वारा लगभग हर देश में बाकि की जनसंख्या के मुकाबले ऊँची बेरोजगार दर का सामना करने के बावजूद भी, अध्ययनों ने दर्शाया है कि अक्षम व्यक्तियों का कार्य निर्वाहन यदि सामान्य जनसंख्या से बेहतर नहीं है तो, उसके समान ही अच्छा है । ऊँची प्रतिधारण दर और अनुपस्थितियों में कमी ने इस भय को दूर किया है कि अक्षम व्यक्तियों की आवश्यकताओं को कार्यस्थल में सम्मिलित करना अत्यधिक महँगा होगा । इसके अतिरिक्त यह भय भी हट गये हैं कि अक्षम व्यक्तियों को रखना नियोक्ता के खर्चों में विशेष बृद्धि करेगा । 2003 के संयुक्त राज्य के सर्वेक्षणें में पाया गया कि लगभग तीन चौथाई नियोक्ताओं के अनुसार अक्षम व्यक्तियों को किसी विशेष समन्वयता की आवश्यकता नहीं होती है ।

अक्षमता और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली

अक्षम व्यक्ति अधिकार संयोजन का सचिवालय

मानव अधिकार अच्च आयुक्त का कार्यालय **(OHCHR)**

अक्षमता और विकास

अक्षम व्यक्तियों के लिए एशिया एवं पैसिफिक दशक, 2003–2012 (ESCAP)

अक्षम व्यक्तियों के अफ्रीकी दशक का सचिवालय, 1999–2009 (SADPD)

विश्व बैंक

अक्षमता और शिक्षा

UNESCO

अक्षमता और कार्य का संसार

अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संस्था (ILO)

अक्षमता और स्वास्थ्य

अक्षमता और पुर्नवास (WHO)

मुख्य देखरेख में मानसिक स्वास्थ्य (WHO)

बहरेपन और अंधत्व की रोकथाम (WHO)

ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षम व्यक्ति

कृषि एवं भोजन संस्था (FAO)

अक्षमता परिभाषा और सांख्यिकि

अक्षमता सांख्यिकि

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकि अनुभाग

ESCAP सांख्यिकि अनुभाग

अक्षमता स्वास्थ्य एवं क्रियाकलापों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण (ICP)